राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 329 / 2022 GCMS No. 2022/856

1. प्रदीप कुमार जिंदल पुत्र किशोरी लाल जिंदल जाति महाजन निवासी वार्ड न.11 गोठड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू(राज.)

..................वादी

– ब ना म –

1. कृष्ण कुमार पुत्र पप्पू जाति कुम्हार निवासी ढाणी हुक्मा
2. कौशल्या पुत्री धन्शी जाति कुम्हार निवासी ढाणी हुक्मा
3. गुड्डी पुत्री धन्शी जाति कुम्हार निवासी ढाणी हुक्मा
4. गीता पुत्री धन्शी जाति कुम्हार निवासी ढाणी हुक्मा
5. निशा पुत्री पप्पू जाति कुम्हार निवासी ढाणी हुक्मा
6. बुद्धराम पुत्र धन्शी जाति कुम्हार निवासी ढाणी हुक्मा
7. बाबुलाल पुत्र धन्शी जाति कुम्हार निवासी ढाणी हुक्मा
8. बिरमा पुत्री धन्शी जाति कुम्हार निवासी ढाणी हुक्मा
9. माया देवी पत्नि पप्पू जाति कुम्हार निवासी ढाणी हुक्मा
10. रेवती पुत्री धन्शी जाति कुम्हार निवासी ढाणी हुक्मा
11. रामप्यारी पुत्री हुक्मीचन्द जाति कुम्हार निवासी ढाणी हुक्मा
12. सजना पुत्री हुक्मीचन्द जाति कुम्हार निवासी ढाणी हुक्मा
13. सुनिता देवी पत्नि हरिकिशन जाति अहीर निवी ढाणी पिठोला
14. सरोज पुत्री धन्शी जाति कुम्हार निवासी ढाणी हुक्मा तह. बुहाना
15. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

..................प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.11.24

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2024.12.20 12:28:28 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि वाके ग्राम ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमि ख.न. 685 / 566 रकबा 1.76 हैक्टर में वादी का हिस्सा ... एवं प्रतिवादी स.1 का 17 / 176 हिस्सा प्रतिवादीया स. 2 का 51 / 1408 हिस्सा प्रतिवादीया स. 3 का 51 / 1408 हिस्सा प्रतिवादीया स. 4 का 51 / 1408 हिस्सा प्रतिवादी स. 5 का 17 / 176 हिस्सा प्रतिवादी स. 6 का 51 / 1408 हिस्सा प्रतिवादी स. 7 का 51 / 1408 हिस्सा प्रतिवादी स. 8 का

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

51 / 1408 हिस्सा प्रतिवादी स. 9 का 17 / 176 हिस्सा प्रतिवादी स. 10 का 51 / 1408 हिस्सा प्रतिवादी स. 11 का 37 / 528 हिस्सा प्रतिवादी स. 12 का 37 / 1056 हिस्सा प्रतिवादी स. 13 का 137 / 528 हिस्सा प्रतिवादी स. 14 का 51 / 1408 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं वादी व प्रतिवादीगण स.1 लगायत 14 अपने – अपने हिस्से अनुसार मौके पर बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक काबिज कास्त हैं।

2. यह कि वाद पत्र के खण्ड न.1 मे वर्णित भूमि गांव की आबादी के नजदीक होने से वादी के लिए अपने हिस्से की सीमाए कायम रखने एवं इसका अन्य प्रयोजनार्थ कनर्वजन करवाने इसमे सुधार कार्य करवाने मे , सीमाए कायम करने , ऋण आदि लेने मे काफी हक तलफी / परेशानी वादी को हो रही हैं जिस कारण वादी अपनी भूमि में सुधार कार्य नही कर पाते हैं जिससे ऐसी वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हैं जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि वाके ग्राम ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमि ख.न. 685 / 566 रकबा 1.76 हैक्टर मे वादी का हिस्सा 1 / 11 हिस्सा का खाता सीमाकंन एवं मापन कर खाता अलग से विभाजित कर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद कर लगान अलग से कायम किये जाने कि कृपा करें।

(ख). कि दावा वादी विरूद प्रतिवादीगण डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादी जिसके वाजिब हकदार हो वादीगण को प्रतिवादीगण को दिलवाये जाने कि कृपा करें।

(2). वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 13 ने जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 2 से 8, 10, 14 की ओर से जबाव दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.08.2023 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 625 दिनांक 13.10.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2467 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2024.12.20 12:28:28 IST
Reason: SelfAttested

(3). प्रतिवादी स. 13 की ओर से इकबाली जवाब – प्रतिदावा निम्न प्रकार हैं कि–

1. यह कि वाके ग्राम ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना भूमि ख.न. 685 / 566 रकबा 1.76 में प्रतिवादी स. 13 का 137 / 528 हिस्सा हैं जिस पर वह शान्तिपूर्वक सभी की जानकारी में बिना किसी बाधा के काबिज कास्त हैं।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2. वाद पत्र के खण्ड न. 1 मे वर्णित भूमी गांव की आबादी के नजदीक होने से प्रतिवादी स. 13 के लिए अपने हिस्से की सीमाए कायम रखने एवं इसका अन्य प्रयोजनार्थ कनवर्जन करवाने इसमे सुधार कार्य करवाने में सीमाए कायम करने , ऋण आदि लेने मे काफी हक तलफी / परेशानी प्रतिवादी स. 13 को हो रही हैं जिस कारण प्रतिवादी स. 13 अपनी भूमी मे सुधार कार्य नही कर पाते हैं जिससे प्रतिवादी स. 13 को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हैं जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं।
3. यह कि प्रतिदावा के लिए आधार विवाद वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश करने एवं वादी व प्रतिवादीगण की भूमी संयुक्त खातेदारी की होने से पैदा हुआ हैं अतः प्रतिदावा अन्दर मियाद हैं वैसे भी खाता विभाजन के लिए कोई समय सीमा नही हैं।

अतः प्रतिदावा पेश कर निवेदन हैं कि –

(क).कि वाके ग्राम ढाणी हुक्मा स्थित भूमी ख.न. 685 / 566 रकबा 1.76 में प्रतिवादी स. 13 का 137 / 528 हिस्सा का खाता वादी व प्रतिवादीगण से अलग से विभाजित कर हिस्सा का खाता सीमांकन एवं मापन कर खाता अलग से विभाजित कर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद कर लगान अलग से कायम किये जाने कि कृपा करे।
(ख).कि प्रतिवादी स. 13 प्रतिदावा डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो प्रतिवादी स.13 जिसका वाजिब हकदार हो प्रतिदावाकर्ता को दिलवाये जाने कि कृपा करे।

(4). प्रतिवादी स. 2, 3, 4, 6, 7, 8 10, 14 की ओर से जवाब मय प्रतिदावा निम्न प्रकार हैं कि–
अतः प्रतिदावा पेश कर निवेदन हैं कि –

(क).कि वाके ग्राम ढाणी हुक्मा स्थित भूमी ख.न. 685 / 566 रकबा 1.76 में प्रतिदावाकर्तागण के प्रत्येक के 51 / 1408, 51 / 1408 हिस्सा का खाता वादी व प्रतिवादीगण से अलग से विभाजित कर हिस्सा का खाता सीमांकन एवं मापन कर खाता अलग से विभाजित कर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद कर लगान अलग से कायम किये जाने कि कृपा करे।
(ख).कि प्रतिवादी स. **2, 3, 4, 6, 7, 8 10, 14** प्रतिदावा डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो जिसका वाजिब हकदार हो प्रतिदावाकर्ता को दिलवाये जाने कि कृपा करे।

(5). वादीगण की ओर से अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रतिदावा कर्ता ने भी विभाजन चाहा है वादीगण का दावा भी विभाजन का है इसलिए दोनों पक्षों की भूमि के रास्ते का प्रावधान करते हुये अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।
बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पक्षकारों के अभिवचनों एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया [illegible]त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार है एवं दो[illegible] भूमि का खाता विभाजन चाहते है इसलिए वादीगण व प्रतिवादी स. **2, 3, 4,** [illegible] **7, 8 10,13, 14** की भूमि का खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2024.12.20 12:28:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

– :: आदेश ::–

" न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 2, 3, 4, 6, 7, 8 10,13, 14 बाबत खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 685/566 रकबा 1.7600 हैक्टर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 6, 7, 8 10,13, 14 का वाद पक्षकारान का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 29/11/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2024.12.20 12:28:28 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 329 / 2022 GCMS No. 2022/856

प्रदीप कुमार आदि – बनाम – कृष्ण कुमार

<u>दावा खाता विभाजन</u>

वादीगण की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से श्री मनोज कुमावत एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 6, 7, 8 10,13, 14 की उपस्थिति में तथा शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को **श्री पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि –

" न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 2, 3, 4, 6, 7, 8 10,13, 14 बाबत खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 685/566 रकबा 1.7600 हैक्टर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 6, 7, 8 10,13, 14 का वाद पक्षकारान का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॅार्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2024.12.20 12:28:28 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना